प्रेषक,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन,
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3,
विधान भवन, लखनऊ ।

संख्या 16957/ई-प्लान-भवन-वि0बैंक(शामली) कानपुर दिनांक जून 27, 92

महोदय,

राजकीय पालीटेकनिक, शामली के निजी भवनों के निर्माण हेतु नगर पालिका शामली द्वारा 40 बीघा भूमि दिये जाने का प्रस्ताव सं0 284 द्वारा पारित किया गया एंव इसकी सूचना अध्यक्ष नगर पालिका शामली ने अपने पत्र सं0 382/पी0.डब्लू.डी./89-9 द्वारा परगना मजिस्ट्रेट को दिया जाना सूचित किया (संलग्नक सं0 15) उक्त प्रस्तावित भूमि के निरीक्षण हेतु निदेशालय प्राविधिक शिक्षा के पत्र सं0 22282/ई-प्लान-भा0शामली दिनांक 20-4-89 द्वारा भूमि चयन समिति का गठन किया गया तथा निरीक्षण समिति द्वारा यह संस्तुति की गई कि प्रस्तावित भूमि पालीटेकनिक भवनों के निर्माण हेतु उपयुक्त है (संलग्नक सं0 07) तदोपरान्त जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर ने अपने पत्रांक 2443/12-ए-भू-व्यय-ब-स दिनांक 4-3-92 द्वारा प्रस्तावित भूमि को नगर पालिका, शामली जिसका कुल रकबा 40 बीघा 90 वर्ष के पट्टे पर दिये जाने की संस्तुति शासन को भेजी गई । जिलाधिकारी ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि अध्यक्ष, नगर पालिका, शामली द्वारा उक्त संस्था की प्रस्तावित भूमि 16 लाख रु0 प्रीमियम तथा 10,000/- रु0 वार्षिक लीज रेन्ट पर लिये जाने का प्रस्ताव किया (संलग्नक संख्या 13)

उल्लेखनीय है कि शामली कस्बे में इस प्रयोजन हेतु अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं है एंव अन्य भूमि के दाम अत्यधिक है । चूंकि प्रस्तावित भूमि नगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है । यह भूमि शहर के अन्दर है एंव भूमि चयन समिति द्वारा इसको उपयुक्त बताया गया है । शासन से अनुरोध है कि उक्त भूमि को नगर पालिका शामली द्वारा निर्धारित शर्तों पर दिये जाने के शासनादेश शीघ्र ही निर्गत करने की कृपा की जाय ।

क्रमानुसार ---2

इस सन्दर्भ में यह भी सूचित करना अनिवार्य है कि निमार्ण कार्य निमार्ण एजेन्सी राइटस को आवंटित है एंव भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण निमार्ण संबंधी कार्यवाही किया जाना सम्भाव नहीं हो पा रहा है ।

भावदीय

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

(एस०सी० शर्मा)
सहायक निदेशक प्राविधिक शिक्षा
कृते निदेशक प्राविधिक शिक्षा
उत्तर प्रदेश ।